

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(33)वित्त-1(1)आ.व्यय./2004/पार्ट-III


जयपुर, दिनांक: 11 जनवरी, 2019

संशोधित मीटिंग नोटिस

इस विभाग के समसंख्यक मीटिंग नोटिस दिनांक 06.12.2018, संशोधित मीटिंग नोटिस दिनांक 29.12.2018, 04.01.2019 एवं 08.01.2019 के द्वारा राजस्व प्राप्तियों के आय- व्ययक अनुमान 2019-20 एवं संशोधित अनुमान 2018-19 को अंतिम रूप दिये जाने हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। उक्त मीटिंग नोटिस में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित विभागों का निम्नानुसार संशोधित कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है:-

क्र. सं	विभाग का नाम	पूर्व में निर्धारित तिथि एवं समय	संशोधित तिथि एवं समय
1	जल संसाधन विभाग इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड सिंचित क्षेत्र विकास विभाग कोटा	15.01.2019 3:30 बजे	21.01.2019 3:30 बजे
2	राजस्व उपनिवेशन विभाग	15.01.2019 4:00 बजे	21.01.2019 4:00 बजे
3	सार्वजनिक निर्माण विभाग सम्पदा विभाग	16.01.2019 3:00 बजे 16.01.2019 4:00 बजे	22.01.2019 3:00 बजे 22.01.2019 4:00 बजे

मीटिंग कार्यक्रम की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। कृपया संशोधित कार्यक्रमानुसार बैठक में भाग लेने का श्रम करें।



(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संबंधित विभाग/अधिकारीगण।
8. तकनीकी निदेशक वित्त (कम्प्यूटर सैल) को उक्त नोटिस वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।



संयुक्त शासन सचिव